प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : अगस्त 09 ,2007

विषयः-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 मार्च, 2007 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि आरक्षण सहित समस्त विन्दुओं को सुस्पष्ट करते हुए, समय से लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि समसंख्यक शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 के द्वारा निर्गत समयसारिणी का अनुपालन किया जा सके।

2. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद उन्हें समय से त्रुटिरहित अधियाचन प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं जिससे विज्ञापन प्रकाशित करने एवं समय से चयन कराने में अप्रत्याशित विलम्ब हो रहा है।

3. उपर्युक्त के संदर्भ में आपको यह अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है कि सम्प्रति आरक्षण के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(1) में प्राविधानित है कि अनुसूचित जातियों के मामले में 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के मामले में 2 प्रतिशत एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के मामले में 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा। उक्त अधिनियम की धारा-3(4) में यह भी प्राविधानित है कि सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुल आरक्षण उस वर्ष में कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस संबंध में कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 03 जनवरी, 1996 एवं दिनांक 05 जुलाई, 2006 के द्वारा समसंख्या में अधियाचन प्रेषित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं ताकि आरक्षण का प्रतिशत 50 से अधिक न हो।

(2) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2002 की धारा-3(5) में यह प्राविधान है कि राज्य सरकार आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा लोक सेवा के संवर्ग की कुल सदस्य संख्या या पदों को समाविष्ट करते हुए एक रोस्टर जारी करेगी, जिसमें आरक्षण विन्दुओं को इंगित किया जायेगा और इस प्रकार जारी किया गया रोस्टर वर्षानुवर्ष चालू खाते के रूप में तब तक कियान्वित किया जायेगा जब तक उपधारा(1) में उल्लिखित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण पूरा न हो जाय और तत्पश्चात् रोस्टर और चालू खाता समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात् जब कभी किसी लोक सेवा या पद में कोई रिक्ति उत्पन्न हो तो उसे उस श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जायेगा, जिस श्रेणी का पद रोस्टर में हो। यदि आपके विभाग के किसी संवर्ग में आरक्षण का कोटा संतृप्त हो गया हो तो

अधियाचन भेजे जाते समय उपर्युक्त प्राविधानों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने का कष्ट करें।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 02 प्रतिशत, विकलांगजनों के लिए 03 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर 05 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज रूप से अनुमन्य है। अतः अधियाचन में उक्त वर्गो के आरक्षण का उल्लेख भी अवश्यक कर दिया जाय।

(4) राज्य सरकार द्वारा आरक्षित वर्ग के बैकलाग को 06 माह में पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है, अतः कार्मिक विभाग द्वारा बैकलाग के संबंध में निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोग की परिधि में आने वाले आरक्षित वर्ग की बैकलाग की रिक्तियों का अधियाचन पृथक से लोक सेवा आयोग को तत्काल प्रेषित कर दिया जाय ।

4. उपर्युक्त के संबंध में आपको पुनः निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

(1) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2006 एवं 2007 के अधियाचनों में आयोग द्वारा अंकित विसंगतियों का निराकरण करते हुए, संशोधित अधियाचन शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

(2) सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2007 के अवशेष अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को भी शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

(3) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य अधियाचनों में भी आरक्षण से संबंधित समस्त सूचनायें अंकित करते हुए, संबंधित पद की सेवा नियमावली (हिन्दी/ अंग्रेजी) की प्रति संलग्न करते हुए, समयान्तर्गत अधियाचन प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 17 अगस्त, 2006 के द्वारा निर्गत समयसारिणी का पालन किया जा सके।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या-15/20/95(1)-का-4-2007, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(जे.एस.दीपक)
प्रमुख सचिव